**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 5**

**ftldk mRrj 24 uoEcj] 2014 dks fn;k tkuk gS**

**dks;yk Cykdksa dk vkoaVu**

**5 Mkñ lR;ukjk;.k tfV;k %**

D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

dks;yk vkoaVu ds lanHkZ esa mPpre U;k;ky; }kjk tkjh fd, x, fn'kk&funsZ'k D;k&D;k gS vkSj muds dk;kZUo;u gsrq fd, x, mik;ksa dk C;kSjk D;k gS\

**उत्‍तर**

**कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 2012 की सं. 120 तथा तत्‍संबंधी अन्‍य मामलों में दिनांक 25.08.2014 के अपने निर्णय और दिनांक 24.09.2014 के अपने आदेश द्वारा जांच समिति के माध्‍यम से और वितरण मार्ग के माध्‍यम से वर्ष 1993 से आबंटित किए गए सभी कोयला ब्‍लॉकों को गैर-कानूनी घोषित किया है और 218 कोयला ब्‍लॉकों में से 204 कोयला ब्‍लॉकों (स्‍टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लि. को आबंटित तसरा कोयला ब्‍लॉक एवं नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को आबंटित पकरी बरवाडीह कोयला ब्‍लॉक और अल्‍ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं को आबंटित 12 कोयला ब्‍लॉकों को छोड़कर) के आवंटन को रद्द कर दिया है। 42 कोयला ब्‍लॉकों (जिनमें से 37 में उत्‍पादन हो रहा है और 5 में उत्‍पादन होने वाला है) को 31.03.2015 से रद्द किया जाएगा।

 रद्द किए गए कोयला ब्‍लॉकों के प्रबंधन और पुन: आबंटन के लिए सरकार ने दिनांक 21.10.2014 को ‘कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्‍यादेश, 2014’ प्रख्‍यापित किया है। सरकार ने इस अध्‍यादेश के अधीन नियमों का प्रारूप भी तैयार कर लिया है और इसके संबंध में जनता से राय मांगी है ।

\*\*\*\*\*